

प्ररूप-26

संचालन नियम, 1961 का नियम 4क देखिये)



वाराणसी स्वयंसेवा समिति

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानपीठ

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं राजनरायन पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० शीतला आयु 50 वर्ष जो गाम-वरही पो० व तहसील सक्त इला (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं राजनरायन (**रानवैदिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें) मेरा नाम 381 सक्त इला (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 256 के कम सं० 576 पर प्रविष्ट हूँ।

3. मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर मो० नं०-8896177134 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 2-21 है।

4. स्थायी लेखा सख्यांक (पैन) के व्यौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्र.सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	राजनरायन	ला२२ नही	ला२२ नही	ला२२ नही
2	पति या पत्नी	ला२२ नही	ला२२ नही	ला२२ नही
3	आश्रित-1	ला२२ नही	ला२२ नही	ला२२ नही
4	आश्रित-2	ला२२ नही	ला२२ नही	ला२२ नही
5	आश्रित-3	ला२२ नही	ला२२ नही	ला२२ नही



Signature of Rajnaranjan

5. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं **नाशु नहीं**

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	नाशु नहीं
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नाशु नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाशु नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नाशु नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	नाशु नहीं
(च)	क्या समी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं	नाशु नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :- **नाशु नहीं**

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाशु नहीं
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नाशु नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	नाशु नहीं

6- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादिष्ट दिया गया है/नहीं दिया गया है **नाशु नहीं**

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है **नाशु नहीं**

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाशु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाशु नहीं
(ग)	अधिरोपित दण्ड	नाशु नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हाँ तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रार्थिति	नाशु नहीं

21 जन 2017
शुभ

7. में मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आ

अ- जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का

टिप्पण-2 जमा/विनिधान की दशा में कम सं०, रकम, जमा की तारीख, रकमी, बैंक/संस्था

टिप्पण-3 सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण-4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण-5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।



क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आदि के नाम
(i)	हाथ में नकदी	40,000/-	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	01,000/- एक हजार मात्र	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
	किमी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, सास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋणों/अधिम और ऋणियों से अन्य ऋण तथा रकम	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
	मोटर वाहन/वायुयान/वोट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
	जोड़ात बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लालू नदी	गले की डुमली चोरी की कमकुल सोने का	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसेकि दावों/हित का मूल्य	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी
(ix)	समग्र कुल मूल्य	लालू नदी	20,000/-	लालू नदी	लालू नदी	लालू नदी



राजेश्वर राय
Rajeshwar Ray

(ब) स्थावर आस्तियों के ब्यौरे -

टिप्पण-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण-2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	सर्वेक्षण सं० (संख्याए)					
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
(ii)	विकास, स्वनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियों)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	सर्वेक्षण सं० (संख्याए)					
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	कड़ नही	कड़ नही	ला० नही	ला० नही	ला० नही	



राजनारायण
केशव

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	पक्का पक्का दस्तावेज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Dr. Rajendra Prasad
Prasad

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
(v)	अन्य (जैसेकि संपत्ति में हित)	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-

8- मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था/संस्थानों को ऋण या शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	दायित्वों का कुल योग	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	पब्लिक आरिस्ट्रि से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	आयकर शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-
	धन कर शोध्य	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-	₹ 20000/-



2 राज-राजग
Kishan

सेवा कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9- वृत्ति या उपजिविका के व्यौरे :

क. स्वयं मास्टर

ख. पति या पत्नी शून्य

10- मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

एम. ए. शिक्षा
महात्मा गांधी विद्या पीठ कालासी



(प्रमाण मंत्रालय/डिप्टी पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा का व्यौरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरा दें)

भाग-ख

11- भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये व्यौरों का उद्धरण :

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी राजनरायन
2	डाक का पूरा पता	ग्राम सरही पो. व. तहसील सकलडीहा जिला चर्चोक
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	381 राजलक्ष्मी उत्तर प्रदेश
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतन्त्र राजनरायन
5	(क) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	कोई नहीं

राजनरायन
[Signature]

	(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (रूपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	112 जही
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	112 जही

7.	 का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय
(क)	अभ्यर्थी	21-5	21-5	21-5
(ख)	पति या पत्नी	21-5	21-5	21-5
(ग)	आश्रित	21-5	21-5	21-5

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)							
		विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क		जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
ख		स्थावर आस्तियाँ	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
	(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की कय कीमत	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
	(ii)	कय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
	(iii)	की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
	(iv)	स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
	(v)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	21-5	21-5	21-5	21-5	21-5
9. दायित्व							
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10. ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं							
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

11 21-5-5
Bachcha Lal

11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

महात्मा काशी विद्यापीठ - एम. ए. शैक्षणिक शिक्षा
वाराणसी

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

सत्यापन

श्री राजेश्वर राय

अमिसाक्षी


मैं, ऊपर उल्लिखित, अमिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी

सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं

छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

क- मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।

ख- मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग-क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।



आज तारीख 5/3/2014 का सत्यापन किया गया।
I solemnly affirm that before me today at by the
deponent identified by Sri.....
the contents of the affidavit were read over
to the deponent who verified matter to be true

Bachcha Lal '90
NOTARY Sadar Varanasi

श्री राजेश्वर राय
अमिसाक्षी

टिप्पणः

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथकमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।